न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2018-402RAAJodhpur2018-159RTA223 Punaram etc Vs Mehararam n ors

1. पूनाराम पुत्र रामुराम सुथार
2. खेतू पत्नी रामुराम सुथार
   निवासीगण पाबडों की ढाणी, लोहावट जाटावास
   तहसील लोहावट, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. मेहरामाराम पुत्र भीखाराम सुथार
2. घेवरराम पुत्र भीखाराम सुथार
   निवासीगण पाबडों की ढाणी, लोहावट जाटावास
   तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
3. मोहनलाल पुत्र आसुराम सुथार
4. चन्द्रप्रकाश पुत्र आसुराम सुथार
5. सुखाराम पुत्र आसुराम सुथार
6. विजयकुमार पुत्र आसुराम सुथार
7. ओमप्रकाश पुत्र आसुराम सुथार
8. केसुदेवी पत्नी आसुराम सुथार
   निवासीगण रामदेवनगर, लोहावट जाटावास
   तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
9. किशनाराम पुत्र मेहरामाराम सुथार
   निवासीगण पाबडों की ढाणी, लोहावट जाटावास
   तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
10. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक
    शाखा लोहावट
11. राजस्थान सरकार
    जरिये तहसीलदार लोहावट,
    जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय दिनांक 22 मई 2018 एवं डिक्री दिनांक 24.05.2020 सहायक कलेक्टर फलोदी राजस्व वाद संख्या 17/2016 मेहरामाराम बनाम पूनाराम इत्यादि

उपस्थित-

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
रेस्पो. संख्या एक से दस की ओर से कोई उपस्थित नहीं
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 11

नि र्ण य

दिनांक : 11 सित. 2020

अपीलाण्ट्स ने विद्वान सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 17/2016 मेहरामराम व अन्य बनाम पूनाराम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 22.05.2020 एवं डिक्री दिनांक 24 मई 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 29 अक्तूबर 2018 को प्रस्तुत की है।

अपील के साथ अपीलाण्ट्स की ओर से भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थनापत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवसं 188 तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत एक राजस्व वाद पेश कर ग्राम पावडों की ढाणी स्थित आराजी खसरा संख्या 649 रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 1071 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा खसरा संख्या 649/3 रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 1071/3 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 649/2 रकबा 21 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा संख्या 1071/2 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा के संबंध में पेश कर जाहिर किया कि पूर्व में उक्त आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या एक से नौ की संयुक्त खातेदारी एवं शामलाती कब्जे काश्त की भूमि थी जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या एक, दो व नौ का संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा व

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रतिवादीगण संख्या 3 से 7 के पिता व प्रतिवादी संख्या 8 के पति का 1/4 हिस्सा था। वाद में यह भी जाहिर किया गया कि दिनांक 27 अगस्त 1998 को वादीगण की जानकारी के बिना ही प्रतिवादीगण संख्या एक व दो तथा प्रतिवादीगण संख्या एक से सात के पिता व प्रतिवादी संख्या 8 के पति ने प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान एक फर्जी एवं कूटरचित बंटवारा निष्पादित कर राजस्व कैम्प के दौरान हळका पटवारी से मिल कर म्युटेशन संख्या 711 अपनी मनमर्जी अनुसार भरवाकर स्वीकृत कर लिया। जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 9 के खातेदारी अधिकारों के खिलाफ शून्य एवं प्रभावहीन है। अतः दावा स्वीकार किया जाकर मूल खसरा संख्या 649 बाबत पूर्व में हुए बंटवारे को निरस्त किया जाकर वादपत्र में वर्णितानुसार बंटवारा किया जावे और तदनुसार स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रकरण प्रतिवादीगण संख्या एक व दो की ओर से जबाब प्रस्तुत किये जाने तथा अन्य प्रतिवादीगण की तलबी हेतु लम्बित चलने के दौरान दिनांक 22 मई 2018 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 के तहत ग्राम पंचायत लोहावट जाटावास कैम्प में प्रतिवादीगण के जबाब का अवसर बंद करते हुए वाद प्राथमिक तौर पर विभाजन हेतु स्वीकार कर लिया और दिनांक 24 मई 2018 अंकित प्राथमिक डिकी जारी कर दी। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी मनमाने एवं विधि-विरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। पक्षकारान के मध्य संयुक्त खातेदारी की भूमि का पूर्व में आपसी सहमति से तहसीलदार के समक्ष बंटवारा होकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात व तरमीम हो चुकी है। वर्तमान में जो दावा पेश किया गया है, कानूनन वह चलने योग्य ही

नहीं है। इसके उपरान्त भी उक्त दावे में सभी प्रतिवादीगण पर सम्मनों की तामील ही नहीं हुई, मात्र प्रतिवादीगण संख्या एक व दो पर सम्मनों की तामील हुई, बकाया प्रतिवादीगण की तलबी हेतु प्रकरण लम्बित चल रहा था। प्रतिवादीगण संख्या एक व दो की ओर से जबाबदावा भी पेश किया जाना बाकी था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत शिविर ग्राम पंचायत लोहावट जाटावास में पारित किया गया है, जबकि प्रकरण राजस्व लोक अदालत में सुनवाई हेतु रखे जाने की कोई पूर्व सूचना अपीलाण्ट्स को नहीं दी गयीं। इतना ही नहीं, राजस्व लोक अदालत में मात्र उन्हीं प्रकरणों को निर्णित किया जा सकता है, जिनका निर्णय राजस्व लोक अदालत में कराने हेतु उभयपक्षकारान परस्पर सहमत हो। आलौच्य मामले में जिन प्रतिवादीगण पर सम्मनों की तामील सुनिश्चित नहीं हुई, उनका भी जबाब का अवसर अकारण बन्द कर दिया गया और स्वयं वादी-पक्ष से साक्ष्य सबूत लिये बिना, प्रतिवादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने और जिरह आदि का अवसर प्रदान किये बिना सीधे ही आदेशिका दिनांक 22 मई 2018 में प्रतिवादीगण का जबाब का अवसर बंद दिया जाना और बहस सुनी जाना अंकित करते हुए उसी रोज दावा स्वीकार कर प्राथमिक डिकी जारी किये जाने के आदेश भी पारित कर दिये गये और 24 मई 2018 की तारीख अंकित करते हुए डिकी पर्चा जारी कर दिया गया। इस प्रकार जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यकायक अत्याधिक जल्दबाजी बरतते हुए और निर्धारित विधिक प्रकिया का घोर उल्लंघन करते हुए और प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये गये है, जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

बरवक्त बहस रेस्पो. संख्या एक से दस की ओर से कोई उपस्थित नहीं। रेस्पो. संख्या ग्यारह की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद दिनांक 13 जनवरी 2016 को संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया और आगामी पेशी 23 फरवरी 2016 मुकर्रर की गयी, दिनांक 23 फरवरी 2016 को प्रतिवादीगण संख्या एक और दो की ओर से अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, आदेशिका दिनांक 6 अप्रेल 2016 के अनुसार प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामील/अदम तामील नहीं लौटे, इंतजार में प्रकरण रखा और उपस्थित प्रतिवादीगण को जबाब पेश करने की ताकीद की गयी। आगामी तारीख-पेशीओं की आदेशिकाओं में भी जब-तब जबाब पेश करने के निर्देश दिये गये, परन्तु बकाया प्रतिवादीगण के सम्मन पुनः जारी किया जाना अथवा बकाया प्रतिवादीगण पर सम्मनों की सम्यक तामील होकर प्राप्त होना या बकाया प्रतिवादीगण की तरफ से कोई उपस्थित होना नहीं पाया जाता है। इस प्रकार प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या एक व दो की ओर से जबाब प्रस्तुत किये जाने तथा अन्य प्रतिवादीगण की तलबी हेतु लम्बित चलने के दौरान दिनांक 22 मई 2018 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 के तहत ग्राम पंचायत लोहावट जाटावास कैम्प में प्रतिवादीगण के जबाब का अवसर बंद करते हुए वाद प्राथमिक तौर पर विभाजन हेतु स्वीकार कर लिया और दिनांक 24 मई 2018 प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत शिविर ग्राम पंचायत लोहावट जाटावास में पारित किया गया है, जबकि प्रकरण राजस्व लोक अदालत में सुनवाई हेतु रखे जाने की कोई पूर्व सूचना पक्षकारान को दिया जाना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पत्रावली से प्रकट नहीं होता है और न ही यह जाहिर होता है कि पक्षकारान ने राजस्व लोक अदालत में मामले का निस्तारण किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में किसी प्रकार से कोई आवेदन किया हो। इसी प्रकार प्रतिवादीगण का जबाब का अवसर बंद करने के बाद निर्धारित न्यायिक प्रकिया के अनुरुप वादीगण से अपना वाद साबित करने हेतु साक्ष्य-सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किया जाना, प्रतिवादीगण को वादीगण की साक्ष्य से जिरह का अवसर प्रदान किया जाना आदि भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट नहीं होता है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यकायक अत्याधिक जल्दबाजी बरतते हुए और निर्धारित विधिक प्रकिया का घोर उल्लंघन करते हुए और प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों को नजरअंदाज करते हुए पारित किये गये है, जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं है।

जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में सुनवाई हेतु रखे जाने एवं अपीलाधीन निर्णय पारित करने की कोई पूर्व सूचना पक्षकारान को दिया जाना पत्रावली से प्रकट नहीं होता है। इस कारण अपीलाण्ट्स को समुचित समय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी की जानकारी नहीं होना स्वभाविक है। अतः मियाद प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं बिन्दुओं तथा अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स की इस संबंध में की गयी बहस पर विश्वास करते हुए अपील मियादशुमार की जाती है। पत्रावली में उपलब्ध म्यूटेशन नं. 711/27.08.1998 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का विधिवत बंटवाड़ा पूर्व में आपसी सहमति से तहसीलदार के समक्ष हो चुका है। इसके फलस्वरुप पक्षकार खातेदारों के खाते भी पृथक-पृथक कायम होकर म्यूटेशन के पृष्ठ भाग पर अंकित नक्शे अनुसार तरमीम भी हो चुकी है। इस विभाजन के निर्णय के संबंध में कोई उज्र/अपील होना नहीं पाया गया है, इसलिए वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़े संबंधी अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्णय से संबंधित वाद विधि से वर्जित होने से अधीनस्थ न्यायालय में चलने योग्य नही पाया जाता है। अतः गुणावगुण पर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 मई 2018 (डिक्री पर्चा दिनांक 24 मई 2018) अपास्त किये जाते है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/9/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर